दिनांक 14.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 19/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 35 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजौरा पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–कमलेश पुत्र रमेश 2–कमलेश पुत्र मेडई घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 35 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कमलेश पुत्र मेडई के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त कमलेश पुत्र रमेश के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 42 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलापुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कमलेश पुत्र रमेश निवासी मधवापुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

2–कमलेश पुत्र मेडई निवासी महेशपुर थाना थानगाँव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 35 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 कार आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 मोहर, 05 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 14 डेबिड/क्रेडिट कार्ड, 05 चेक बुक, 02 पास बुक आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2024 को थाना सेक्टर–58 व क्राइम ब्रान्च नोएडा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कबीर पैलेस से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मन्नू भोला सहित अभियुक्त 2–त्रिदिब दास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 मोहर, 05 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 14 डेबिड/क्रेडिट कार्ड, 05 चेक बुक, 02 पास बुक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना सेक्टर–58 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त मन्नू भोला की गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मन्नू भोला निवासी बी ब्लाक बी–1, स्काई लाईन अपार्टमेन्ट फरताबाद थाना नरेन्द्रपुर जनपद साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल।

2–त्रिदिब दास निवासी 9 हरी स्ट्रीट खिदरीपारा थाना बाटगंज कोतकत्ता पश्चिम बंगाल।

<u>बरामदगी</u>

1–07 मोहर, 05 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 14 डेविड/क्रेडिट कार्ड, 05 चेक बुक, 02 पास बुक आदि।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेडी</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.09.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जसमौर बस अड्डे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामकुमार उर्फ कमैन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामकुमार उर्फ कमैन निवासी कस्बा व थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर स्थाई पता ग्राम जसमौर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2024 को थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंधा रोड तिराहा गोमतीनगर के पास से 02 अभियुक्तों 1–शफीकुल उर्फ भूरे 2– शाहबान

उर्फ फरहान को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, 05 हजार रूपये नगद, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.09.2024 को थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध मे थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शफीकुल उर्फ भूरे निवासी फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ।

2—शाहबान उर्फ फरहान निवासी यशनगर फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—05 हजार रूपये नगद।

3—01 दो पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोसाईगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 14.09.2024 को थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोडरा ढाबे के पास से 02 अभियुक्तों 1—राघवेन्द्र उर्फ पिन्टू 2—रोहित उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया गया, एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ पिन्टू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त रोहित उर्फ गब्बर के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राघवेन्द्र उर्फ पिन्टू निवासी बेगरियामऊ थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2—रोहित उर्फ गब्बर निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

एस0टी0एफ—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 13—09—2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्करों को 05 किग्रा अवैध चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रूपये) के साथ जनपद कन्नौज से गिरफ्तार करने में उल्लखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1— आदित्य कुमार पुत्र सीताराम निवासी सिठऊ पूर्व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

2— दीपक गुप्ता पुत्र हीरा शाह निवासी ग्राम सुगौली बाजार थाना सुगौली जनपद मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार।

3— अंकित कुमार पुत्र राजू शाह निवासी ग्राम सिमरिया नायक टोला थाना रिवील गंज जिला छपरा बिहार।

बरामदगी—

1— 05 किलोग्राम अवैध चरस(अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमूल्य लगभग 25 लाख रूपये।)

2— 02 अदद मोबाइल फोन।

3– नगद 1180/– रूपये ।

4– 01 अदद मोटर साइकिल न0 यूपी 77 एक्स 1989

<u>गिरफ्तारी का समय व स्थान–</u>

लिंक रोड ठठिया से होते हुए मानपुर रोड पर जनपद कन्नौज। दिनांक 13–09–2024 समय 20.30 बजे।

उ0प्र0 में अवैध मादक पदार्थों तस्करी की रोकथाम व तस्करों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

अभिूसचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नेपाल से चम्पारण (बिहार) के रास्ते अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य चरस की खेप लेकर कानपुर आने वाले है। जिसे कानपुर नगर एवं कन्नौज रेलवे स्टेशन के आस–पास उक्त चरस की आपूर्ति की जायेगी इस सूचना पर उप निरीक्षक राहुल परमार के नेतृत्व मे मु0आ0 धीरेन्द्र यादव, मु0आ0 अरविन्द व मु0आ0 चन्द्रप्रकाश की एक टीम जनपद कन्नौज के थाना क्षेत्र कोतवाली, कन्नौज लिंक रोड (ठठिया से मानपुर रोड) के पास से 03 तस्करों को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वह बताशा बनाने का काम करता था। काम के सिलसिले में बीरगंज नेपाल गया था। जहां पर उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई उसने अपना नाम नही बताया और कहा कि मुझे रक्सौल में मिलना। कुछ समय बाद वह व्यक्ति रक्सौल में बड़ी मस्जिद के पास इससे मिला। उस व्यक्ति ने इससे कहा कि तुमको एक काम करना है इसके बदले में तुमको काफी फायदा होगा। इसके द्वारा पुनः पूछने पर उसने बताया कि तुमको चरस की सप्लाई करनी है बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी है। आने–जाने का टिकट और पैसा भी मिलेगा। पैसे के लालच में यह काम करने के लिए राजी हो गया। दिनांक 12–09–2024 को वह व्यक्ति इसे एक बैग दिया और बोला कि इस बैग को कानपुर (उत्तर प्रदेश) ले जाना है जहां

पर आदित्य कुमार उर्फ परशुराम नाम का एक व्यक्ति को देना है। जिसका पहचान कानपुर पहुँचने पर बतायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ परशुराम उर्फ राजेश ने पूछताछ मे बताया कि उसका एक गिरोह है जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता है। दिनांक 26–09–2020 को एस0टी0एफ0 कानपुर टीम द्वारा 16 किग्रा चरस पकड़ा गया था। जिसके विरूद्ध थाना नवाबगंज कानपुर में मु0अ0सं 316/20 धारा 8/20/22/23/25/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में यह वांछित था और इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 20 हजार का पुरस्कार घोषित था। जिसे एसटीएफ कानपुर द्वारा दिनांक 21–10–2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूर्व में नेपाल में भी चरस के साथ पकड़ा गया था जहॉ पर लगभग 03 वर्ष नेपाल जेल रहा।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली, जनपद कन्नौज में मु0अ0सं0 774/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

―――――